


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/रिव्यू डीपीसी/2018-19/2018 दिनांक 11.09.2018 के द्वारा श्री कैलाश चन्द्र प्रतिहार व0अ0 राउप्रावि जेडी ब्लाक कोटडी, जिला भीलवाडा का व्याख्याता हिन्दी (वरिष्ठता क्रमांक 3084/2007-2008) के पद पर पदोन्नति कर राउमावि अरनिया रासा-शाहपुरा- भीलवाडा में पदस्थापन किया । उक्त आदेश की पालना में श्री प्रतिहार द्वारा व्याख्याता हिन्दी पद पर दिनांक 14.09.2018 को कार्यग्रहण किया गया ।

श्री कैलाश चन्द्र प्रतिहार के आवेदन पत्र दिनांक 17.09.18 में स्वैच्छा से अपना पदस्थापन पूर्व स्थाई पद वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद पर करने की मांग की है । चूंकि श्री प्रतिहार व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदोन्नति होने से पूर्व अजमेर मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक पर स्थाई लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे, राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 15 के अधीन श्री कैलाश चन्द्र प्रतिहार पूर्व कार्यरत स्थाई पद वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) पद पर पदाधिकर (लियन) नियमानुसार रखते हैं के पद पर पदस्थापित करने के संबध में की गई मांग स्वीकार की जाकर इन्हे व्याख्याता हिन्दी राउमावि अरनिया रासा, भीलवाडा से मुक्त करते हुए पूर्व स्थाई पद वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) पद पर पदस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।



(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/पदावनति/पदस्थापन/2018-19
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक- 20.09.18

1. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द्र प्रतिहार को पदस्थापन पूर्व पद वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) पद पर कर इस कार्यालय को सूचित करे ।
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी व्याख्याता-हिन्दी के आरपीएससी - 2015 नियुक्ति/स्थानान्तरण आदेश के द्वारा जारी पदस्थापन में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक तक कार्यग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	नाम आशार्थी	आदेश क्र.सं.	आदेश दि.	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि
1	कृष्ण कुमार यादव	154	24.08.2018	खाखुसर-कोलायत-बीकानेर	04.10.2018
2	भरत दवे	77	24.08.2018	कनाना - बाडमेर	19.01.2018
3	अनिता गुर्जर	2	10.09.2018	गुढा आशिकपुरा-बांटीकई - दौसा	15.11.2018

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।


आज्ञा से/-
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 20.09.18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-7/नियुक्ति-हिन्दी-डीपीसी 17-18/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
- 4 संबंधित कार्मिक
- 5 निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर